

## स्पाइसेस बोर्ड भारत



संदर्भ संख्या: SB/CODEX/CCSCH7/निविदाएं/अनुवाद सेवाएं/2025

18 जुलाई, 2025

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (CCSCH8) के आठवें सत्र के लिए सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद की आवश्यकताओं के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना

जारी करने वाला प्राधिकरण  
सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,  
निदेशक अनुसंधान  
स्पाइसेस बोर्ड  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
'सुगंध भवन'  
एन एच बै पास, पालारिवाट्टम पी ओ  
कोचीन - 682025  
केरल, भारत

## 1 परिचय:

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच), एफएओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी) के अंतर्गत एक सहायक निकाय है, जिसका कार्य मसालों और पाक शाकों के लिए कोडेक्स मानक विकसित करना है। भारत सीसीएससीएच का मेज़बान देश है, और भारत की ओर से, स्पाइसेस बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

इस समिति का आठवाँ सत्र (CCSCH8) 13-17 अक्टूबर 2025 के दौरान **गुवाहाटी, असम, भारत में आयोजित होने वाला है।** भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय मसाला बोर्ड, बैठक से प्राप्त CCSCH दस्तावेज़ों के पाठों का अंग्रेज़ी, स्पेनिश और फ्रेंच में अनुवाद करने के लिए GFR 2017 के नियम 149 और 192 के अनुसार, द्वि-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोलियों सहित) के माध्यम से ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित करता है।

इच्छुक और पात्र बोलीदाताओं, जो GeM बोली/RA में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं और उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के इच्छुक हैं, से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियाँ केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ पूरी तरह से भरे हुए हों, उचित रूप से हस्ताक्षरित हों, और बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित अंतिम तिथि और समय से पहले अपलोड कर दिए गए हों।

**दो प्रकार की अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता है:**

(1) **सत्र:** सीसीएससीएच8 सत्र के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी दस्तावेज़ों का समयबद्ध अनुवाद

(2) **सत्रोत्तर:** सीसीएससीएच से संबंधित सभी दस्तावेज़ों का अनुवाद, जो सीसीएससीएच 8 सत्र के बाद तैयार किए गए हैं, सीसीएससीएच के अगले सत्र (संभवतः फरवरी/मार्च 2027 में) के प्रारंभ होने तक, प्रति-शब्द दर पर किया जाएगा।

सीसीएससीएच दस्तावेज़ों के पाठों के अनुवाद लागत के लिए अनुभाग 2: कार्य का दायरा के अनुसार कोटेशन प्रस्तुत किए जाने हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

## 2. कार्यक्षेत्र:

अनुवाद समन्वयक होना चाहिए जो अनुवाद कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। समन्वयक को सत्र के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। आगामी CCSCH8 सत्र के लिए अनुवाद सेवाओं की आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं।

### (क) सत्र-अंतर्गत अनुवाद:

- सीसीएससीएच8 सत्र 13-17 अक्टूबर 2025 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित किया जाएगा।
- सत्र के दिनों में दस्तावेज़ों का रातोंरात अनुवाद करना आवश्यक होगा। प्रत्येक सत्र के अंत में, अंग्रेज़ी में दस्तावेज़ों के कुछ अंश (वर्ड फ़ाइलें) अनुवाद समन्वयक को दिए जाएँगे। इन्हें फ्रेंच और स्पेनिश में अनुवादित करके अगले दिन तक वापस करना होगा।
- सत्र रिपोर्ट, दस्तावेज़ के अंशों से तैयार की जाएगी, अंग्रेज़ी में अंतिम रूप दिया जाएगा और सत्र के तीसरे दिन (15 अक्टूबर 2025) की शाम तक अनुवाद समन्वयक को सौंप दी जाएगी। इसमें पहले भेजे गए दस्तावेज़ अंशों में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अनुवादित दस्तावेज़ों में शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। स्पेनिश और फ्रेंच में अनुवादित अंतिम रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि तक वापस कर दी जानी चाहिए।
- लगभग **10,000-15,000 स्रोत शब्दों का** अनुवाद करना होगा। यदि दस्तावेज़ मिश्रित भाषाओं में हैं, तो आवश्यकतानुसार अलग-अलग अंग्रेज़ी, स्पेनिश और फ्रेंच दस्तावेज़ तैयार करने होंगे। शब्दों की संख्या में 10% का अंतर हो सकता है।
- उपरोक्त विवरण के आधार पर, सत्र-वार अनुवाद की कुल राशि एक इकाई के रूप में उद्धृत की जानी चाहिए। इसमें अन्य सभी लागू शुल्क शामिल होने चाहिए।
- स्पाइसेस बोर्ड अनुवाद समन्वयक/टीम के लिए यात्रा और आवास की व्यवस्था नहीं करेगा। यात्रा और आवास का खर्च बोलीदाता को वहन करना होगा।

### (ख) सत्रोत्तर अनुवाद:

- यह आवश्यकता CCSCH8 और CCSCH9 सत्रों के बीच की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले दस्तावेज़ों के अनुवाद के लिए है। यह अवधि संभवतः 18 अक्टूबर 2025 से फरवरी/मार्च 2027 तक होगी।
- अनुवाद की कुल मात्रा लगभग 45,000 स्रोत शब्द होगी।
- सत्र के बाद अनुवाद हेतु दस्तावेज़ अनुवाद समन्वयक को ईमेल किए जाएँगे, और उन्हें अनुवाद करके अधिकतम दो सप्ताह के भीतर वापस भेजना होगा। यदि दस्तावेज़ मिश्रित भाषाओं में हैं, तो आवश्यकतानुसार अलग-अलग अंग्रेज़ी, स्पेनिश और फ्रेंच दस्तावेज़ तैयार करने होंगे।

- अंग्रेज़ी < > फ्रेंच और अंग्रेज़ी < > स्पैनिश के लिए प्रति शब्द दरें उद्धृत करनी होंगी। ये दरें CCSCH8 और CCSCH9 सत्रों के बीच की अवधि (संभवतः अक्टूबर 2025 से फ़रवरी/मार्च 2027 तक) के दौरान स्थिर रहनी चाहिए।
- प्रत्येक भाषा में सत्रोत्तर अनुवाद कार्यों के भुगतान के लिए, अनुवादित दस्तावेजों (अंग्रेज़ी/फ्रेंच/स्पैनिश) में वास्तविक शब्द गणना का उपयोग किया जाएगा।

### 3. बोलियां प्रस्तुत करना

बोली को GeM पोर्टल पर दो-बोली प्रणाली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- A) **तकनीकी बोली:** अनुवाद समन्वयक/टीम के लिए योग्यता आवश्यकताओं के समर्थन में दस्तावेज़। आवश्यकताओं का विवरण नीचे अनुभाग 4 की तालिका 1 में दिया गया है। इस भरी हुई तालिका को पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए। **तकनीकी बोली दस्तावेज़ में वित्तीय विवरण का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।**
- B) **वित्तीय बोली :** लागत विवरण, अनुलग्नक 1 के खंड 4 के अनुसार अपलोड किया जाना है।

### पात्रता मानदंड और योग्यता आवश्यकताएँ

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजना के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन और रैंकिंग की जाएगी:

अंकन QCBS योजना के अनुसार होगा। तकनीकी मूल्यांकन के लिए अंकन योजना तालिका 2 में निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार दी गई है : तकनीकी बोली के लिए अंक: 30%, वित्तीय बोली के लिए अंक: 70%

### 4. तकनीकी बोली

बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुवाद टीम के पास अनुरोधित भाषाओं, जैसे अंग्रेज़ी, स्पैनिश और फ्रेंच, में अनुवाद का अनिवार्य अनुभव हो। नीचे दी गई तालिका 1 में दिए गए विवरण के अनुसार पात्रता मानदंड और योग्यता आवश्यकताओं के समर्थन में दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ। आवश्यकतानुसार, पात्रता मानदंड सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ों को एक एकल पीडीएफ दस्तावेज़ के रूप में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुभाग लेबल के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।

**तालिका 1: अनिवार्य पात्रता मानदंड और योग्यता आवश्यकताएं (तकनीकी बोली में नीचे दी गई तालिका की हस्ताक्षरित प्रतियां और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें)**

क्रम संख्या	आवश्यकताएं
1.	अनुरोधित विदेशी भाषाओं में समन्वय अनुवादक और अनुवाद टीम की व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यताएं और प्रासंगिक अनुभव। <b>(कृपया साक्ष्य के रूप में पूर्ण विवरण प्रदान करें और अपलोड की गई पीडीएफ फाइल में अनुभाग को पात्रता मानदंड - क्रम संख्या 1 के रूप में लेबल करें)</b>
2.	वैज्ञानिक/तकनीकी प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुवाद सेवाएं प्रदान करने का अनुभव। <b>(कृपया साक्ष्य के रूप में पूर्ण विवरण प्रदान करें और अपलोड की गई पीडीएफ फाइल में अनुभाग को पात्रता मानदंड - क्रम संख्या 2 के रूप में लेबल करें)</b>
3.	अनुवाद समन्वयक को संपूर्ण सत्र अवधि (13-17 अक्टूबर 2025 तक) के दौरान कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा।
4.	स्पाइसेस बोर्ड यात्रा और आवास की व्यवस्था नहीं करेगा तथा सभी खर्च बोलीदाता को वहन करना होगा।

उद्धरणों की अंतिम रैंकिंग निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी: 30% तकनीकी योग्यता स्कोर, 70% वित्तीय स्कोर।

**तालिका 2: तकनीकी मूल्यांकन के लिए अंकन योजना**

नहीं।	विवरण	स्कोर गणना	अधिकतम अंक
1.	<b>अनुवाद समन्वयक का अनुभव:</b> <i>2022 से 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की संख्या जिनमें अंग्रेजी के अलावा कम से कम 2 अन्य भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का समन्वय किया गया</i>	1 इवेंट (अनिवार्य): 10 अंक 2 इवेंट: 20 अंक 2 से अधिक इवेंट: 25 अंक	25
2.	वैज्ञानिक/तकनीकी आयोजनों और सम्मेलनों से उत्पन्न दस्तावेजों में अनुवाद टीम का अनुभव	1 इवेंट (अनिवार्य): 5 अंक 2 इवेंट: 10 अंक 2 से अधिक इवेंट: 15 अंक	15
3.	<b>अंतर-सरकारी बैठकों में अनुवाद समन्वयक का अनुभव</b> <i>2022 से 2025 तक अंतर-सरकारी बैठकों की संख्या जिनमें सत्र-वार अनुवाद सेवाओं का समन्वय किया गया</i>	1 इवेंट: 10 अंक 1 से अधिक इवेंट: 20 अंक	20
4.	<b>फ्रेंच अनुवादक का अनुभव:</b> 2022 से 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की संख्या जिसमें अंग्रेजी < > फ्रेंच अनुवाद सेवाएं प्रदान की गईं।	1 इवेंट (अनिवार्य): 10 अंक 2 इवेंट: 15 अंक 2 से अधिक इवेंट: 20 अंक	20
5.	<b>स्पेनिश अनुवादक का अनुभव:</b> 2022 से 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की संख्या जिसमें अंग्रेजी < > स्पेनिश अनुवाद सेवाएं प्रदान की गईं।	1 इवेंट (अनिवार्य): 10 अंक 2 इवेंट: 15 अंक 2 से अधिक इवेंट: 20 अंक	20
		अधिकतम कुल अंक	100

## 5. वित्तीय बोली प्रस्तुत करना

निम्नलिखित प्रत्येक कार्य मद का विवरण बोलीदाता द्वारा वित्तीय ब्रेकअप शीट (अनुलग्नक 1) में अलग से दिया जाना चाहिए, जिसमें सभी लागू शुल्क और कर शामिल हैं, तथा एक्सेल (xls) प्रारूप में वित्तीय बोली के भाग के रूप में GeM पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- सत्र-वार अनुवाद के लिए शुल्क**, जैसा कि अनुभाग 2 में विस्तार से बताया गया है, सभी शुल्कों सहित एक इकाई के रूप में कुल लागत। स्रोत शब्दों की अनुमानित संख्या 10,000 - 15,000 होगी।
- सत्रोत्तर अनुवाद हेतु शुल्क**: अंग्रेजी < > स्पेनिश और अंग्रेजी < > फ्रेंच के लिए प्रति शब्द दर और कुल लागत, अक्टूबर 2025 से CCSCHE के अगले सत्र तक, संभवतः फरवरी/मार्च 2027 तक, या जो भी बाद की तिथि हो, मान्य। (लगभग 45000 स्रोत शब्द, भुगतान और निपटान प्रति शब्द गणना/दर के आधार पर वास्तविक रूप से किए जाएंगे)।

वित्तीय विवरण और बोली की शर्तों को प्रस्तुत करने के लिए अनुबंध। में दिए गए प्रारूप में विवरण भरा जा सकता है।  
**उद्धृत कुल वित्तीय राशि उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं की संचयी लागत होनी चाहिए।**

## ईएमडी

1. बोलीदाताओं को किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "सचिव, मसाला बोर्ड" के पक्ष में कोच्चि में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। अग्रिम राशि तीन महीने के लिए वैध होगी। अग्रिम राशि निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:

स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार  
'सुगंध भवन'  
(कोडेक्स सेल)  
एन एच बै पास, पालारिवाट्टम पी ओ  
कोचीन - 682025  
केरल, भारत

2. ईएमडी के बिना तकनीकी बोली को तब तक अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा ईएमडी के भुगतान से विशेष रूप से छूट न दी जाए, जिसके लिए तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ कारण और प्रमाण संलग्न करना होगा।
3. असफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि (ईएमडी) निविदा खुलने की तिथि से 45 दिनों के भीतर (बिना किसी ब्याज के) वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाताओं की अग्रिम राशि सेवा के संतोषजनक समापन के बाद वापस कर दी जाएगी।
4. यदि विक्रेता अपनी निविदा की वैधता अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है या उसमें संशोधन करता है या किसी भी तरह से निविदा से अलग होता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

## 6. महत्वपूर्ण तिथियां

बोली शुरू होने की तारीख: 18 जुलाई, 2025  
बोली की अंतिम तिथि: 8 अगस्त, शाम 4.00 बजे IST  
बोली खोलने की तिथि: 8 अगस्त, शाम 4.30 बजे IST

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक) पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संपर्क कर सकते हैं।

ईमेल आईडी: codex.sb-ker@nic.in

दूरभाष: 0484-2333610- 616 (एक्सटेंशन: 520)

मोब: +91 94475 30605 (डॉ. शमीर चेरियाथ, सहायक निदेशक)

+91 89215 61130 (डॉ. एन रमेश बाबू, वैज्ञानिक सी, आयोजन सचिव, सीसीएससीएच)

## 7. सामान्य नियम और शर्तें

1. कृपया सम्पूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं के लिए निविदा दस्तावेज़ देखें।
2. बोर्ड इस जांच में उल्लिखित विनिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. उद्धृत मूल्य सेवा पूरी होने तक स्थिर रहना चाहिए। शुल्क शुद्ध होने चाहिए और बोली खुलने की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होने चाहिए।
4. बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले नियम एवं शर्तों के सभी खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।
5. बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उनकी बोलियां और सभी सहायक दस्तावेज समय पर और निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत किए जाएं।
6. यदि बोली खोलने की तिथि किसी घोषित अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली खोलने का कार्य अगले कार्य दिवस पर उसी समय या क्रेता द्वारा अधिसूचित समय पर किया जाएगा।
7. क्रेता द्वारा बोली खोलने की तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार बोलीदाताओं को विधिवत सूचित किया जाएगा।
8. बोली की वैधता GeM पोर्टल पर दी गई आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
9. बोलियां केवल GeM पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए; किसी अन्य माध्यम से भेजी गई बोलियां अमान्य मानी जाएंगी।

10. सभी बोली दस्तावेजों को पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए, विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा निर्दिष्ट समय सीमा से पहले GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
11. स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाता जीईएम पोर्टल पर प्रतिनिधित्व कॉलम के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।
12. नियम एवं शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा सुपाठ्य होने चाहिए।
13. अनुरोधित दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत न करने पर बोली अस्वीकृत हो सकती है।
14. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए; अन्यथा बोली को अनदेखा किया जा सकता है।
15. केवल तकनीकी बोलियां ही निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर खोली जाएंगी।
16. वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद अनुरूप पाई जाएंगी।
17. तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली खोलने की तिथि GeM पोर्टल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
18. बोली दस्तावेज को GeM/ CPP पोर्टल और आधिकारिक स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट ([www.indianspices.com/tenders.html](http://www.indianspices.com/tenders.html)) से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
19. बोलीदाताओं को इस बोली से संबंधित GeM/ CPP पोर्टलों और आधिकारिक स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र पर नज़र रखनी चाहिए।
20. अधूरी निविदाएँ या अनुलग्नक विवरण का अभाव अयोग्यता का कारण बनेगा। हस्ताक्षरकर्ता को फर्म में अपने अधिकार और भूमिका स्पष्ट करनी होगी।
21. स्पाइसेस बोर्ड किसी भी निविदा को बिना कारण बताए, पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
22. सभी सेवा प्रदाताओं को स्वीकृति से पहले सत्यापन और अनुमोदन से गुजरना होगा। सत्यापन के लिए, प्राप्तकर्ताओं के पिछले अनुबंधों और संपर्क विवरणों का अनुरोध किया जा सकता है।
23. बोलीदाताओं को धारा 5 में दिए गए विवरण के अनुसार 25,000/- रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। यदि आपका कोटेशन स्वीकार कर लिया जाता है और ऑर्डर दे दिया जाता है, तो सेवाएँ ऑर्डर की शर्तों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड देरी या गलत सेवाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
24. यदि सेवा प्रदान नहीं की जाती है और क्रयकर्ता संस्था को आपके जोखिम और लागत पर कहीं और से सेवा प्राप्त करनी पड़ती है, तो परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति की वसूली चूककर्ता प्रदाता से की जाएगी।
25. इस जांच से संबंधित विवाद विशेष रूप से केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
26. शर्तों के अनुसार, सेवाओं की प्राप्ति और स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान करना अनिवार्य है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कुल बोली मूल्य का अधिकतम 30% अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

अनुलग्नक-1  
वित्तीय बोली

GeM पोर्टल पर उद्धृत वित्तीय बोली का विवरण। विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में भरकर वित्तीय बोली के साथ जमा करना है।

	मांग	विवरण/लागत रुपयों में
भाग 1 – सत्र के दौरान अनुवाद		
ए	सत्रवार अनुवाद की कुल लागत (16 अक्टूबर 2025 की रात में अनुमानित कुल 10,000 - 15,000 अंग्रेजी स्रोत शब्दों का स्पेनिश और फ्रेंच में अनुवाद किया जाना है, जैसा कि निविदा दस्तावेज की तालिका 1 में विस्तृत है) <b>कार्य की एक इकाई के रूप में</b> , एकमुश्त	
बी	अन्य सभी अतिरिक्त लागतें, जो लागू हों	
सी	लागू कर और अन्य शुल्क	
डी	<b>सत्र-अंतर्गत अनुवाद के लिए कुल (A+B+C)</b>	
भाग 2 – सत्रोत्तर अनुवाद		
ई	सत्रोत्तर अनुवाद के लिए प्रति शब्द दर, 18 अक्टूबर 2025 से CCSCH के अगले सत्र तक मान्य होगी (संभवतः फरवरी/मार्च 2027)	
	अंग्रेज़ी <> स्पेनिश	
	अंग्रेज़ी <> फ्रांसीसी	
एफ	अनुमानित 45,000 स्रोत शब्दों के लिए सत्रोत्तर अनुवाद की कुल लागत*।  इस प्रकार गणना की जाएगी (दर/शब्द अंग्रेज़ी <> स्पेनिश + दर/शब्द अंग्रेज़ी <> फ्रेंच) x 45,000  *स्रोत शब्दों की यह संख्या केवल गणना के उद्देश्य से है। प्रत्येक अनुवाद सेट के बाद, वास्तविक भुगतान किया जाएगा। समयावधि के दौरान स्रोत शब्दों की संख्या में ± 25% तक का अंतर हो सकता है।	
जी	लागू कर और अन्य शुल्क	
एच	<b>कुल पोस्ट सत्र अनुवाद शुल्क (F + G)</b>	
आई	<b>कुल योग (डी+एच)*</b>	
	<b>कुल राशि शब्दों में</b>	

**पंक्ति I** में अंतिम राशि सभी लागू घटकों और करों का योग होनी चाहिए जिस पर सेवा प्रदान की जाएगी, जिसे **GeM पोर्टल पर कुल बिल मूल्य के रूप में उद्धृत किया जाता है।**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

हस्ताक्षर एवं मुहर स्थान एवं दिनांक: